

परिषद की वाराणसी जोन के अन्तर्गत मिर्जापुर/ गोरखपुर/फैजाबाद/गोण्डा/इलाहाबाद एवं बस्ती आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों की आवंटन / नीलामी

दिनांक :
15.05.2018
समय :
प्रातः 11.00 बजे

नीलामी स्थल: कार्यालय सम्पत्ति प्रबंध, आफिस काम्पलेक्स, अंगूरी बाग, फैजाबाद

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर	अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)	टोकन/पंजीकरण धनराशि (लाख में)
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर					
दुकानें LGFS - 6.7 (अनारक्षित)	02	9.922 वर्गमी०	-	14.31 प्रति नग	1.44
दुकानें LGFS - 5.8,9,10,11 (अनारक्षित)	05	9.633 वर्गमी०	-	13.89 प्रति नग	1.39
तहसील हरैया, बाम्बे योजना बस्ती					
आवासीय भवन 22 नग 15/25 प्रकार बी.पी.एल. कार्डधारकों हेतु	22	25.00	-	0.40 प्रति नग	0.05 लाट्ररी द्वारा
अवधपुरी योजना, फैजाबाद					
अल्प आय वर्ग-474	01	60.59 वर्गमी०	-	13.20	66000.00
व्यव० भू०-1341/1	01	100.65	21280.00	21.41	2.15
भरतपुरी योजना, गोण्डा					
अ.आ.व. एल.-911(अनारक्षित)	01	61.00	-	9.64	0.482
अ.आ.व. एल.-343(अनारक्षित)	01	60.59	-	9.57	0.48
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड - फेज-2 (अनारक्षित)	01	1587.50वर्गमी०	12100प्र०वर्गमी०	-	19.21
प्राईमरी स्कूल भूखण्ड - फेज-3 (अनारक्षित)	01	1826.82वर्गमी०	12100प्र०वर्गमी०	-	22.11
डमरौली योजना, मिर्जापुर					
अनावासीय भूखण्ड सं.-सी.पी.-114/1 (अनारक्षित)	01	76.29	22400.00	-	1.71
चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, इलाहाबाद					
व्यावसायिक प्लेटफार्म सी.पी. एल.- 17	01	11.10	-	53760.00	0.60
व्यावसायिक प्लेटफार्म सी.पी. एल.- 18	01	11.40	-	53760.00	0.61

नोट- तहसील हरैया जनपद बस्ती के अंतर्गत निर्मित भवनों के लाभार्थियों की सूची अधिशासी अभियन्ता डूडा बस्ती द्वारा प्रेषित करने पर सूची में अंकित व्यक्तियों के (सी. पी.एल. कार्ड धारक) के मध्य आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। शासन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि रु०- 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् बस्ती के नाम देय हो, आवंटन हेतु आवेदन पत्र के साथ बी.पी.एल. कार्ड/राशन कार्ड की छायाप्रति, नाम पता, हस्ताक्षर सहित प्रमाणित फोटो निर्धारित आवंटन से एक दिन पहले सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, बी-60, सूरजकुण्ड, गोरखपुर में जमा करना आवश्यक होगा।

सामान्य सूचना- (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन / नीलामी शासनादेश / परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु० 100.00 जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5% एवं अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि में भाग ले सकते हैं अथवा नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सीलड बिड के साथ जमा करना होगा। (4) शैक्षणिक भूखण्डों हेतु पुस्तिका सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा से रु० 1000.00 में क्रय कर विज्ञापन प्रकाशन तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क 5000.00 सहित जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" को देय होगा, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गोण्डा में जमा करना होगा। (5) सम्पत्ति आवंटन/ नीलामी नियम शर्त एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त

परिषद की समन्वित
समस्या हमसे कहे



जन-सुविधा केन्द्र परिषद से समस्या के निराकरण हेतु डायल करें
1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website: <http://www.upavp.in>; E-mail: info@upavp.com

